तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अज अदालत :– जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) विकास अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 13 / 2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023 / 28)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
26.06.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील / आरटीआई / 2023 / 252 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र कमांक / संपर्क / सू.अ. / 2023 / 57 दिनांक 07.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर भिजवाया जा चुका है जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर कार्यालय के पत्र कमांक / संपर्क / सू.अ. / 2023 / 57 दिनांक 07.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर भिजवाया गया है जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसकी प्रथम अपील अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का प्रथम अपीलीय अधिकारी अति0 जिला	

	कलक्टर धौलपुर है। अपीलार्थी, अति0 जिला कलक्टर धौलपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर	